न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2020
तारीख दायर 14.07.2020

उनवान

1. भंवरसिंह उर्फ भगवतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ़ तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादी)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 06.08.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर आने जाने ट्रेक्टर सजबेल आदि लाने ले जाने हेतु प्रार्थी गै0मु0 सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 483 से होते हुए बिलानाम आराजी नम्बर 660/480 के दक्षिणी मेर पर प्रवेश कर आराजी नम्बर 660/480 में होते हुए आराजी नम्बर 660/480 की उत्तरी मेर पर स्थित आराजी नम्बर 477 एवं 478 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे आराजी नम्बर 660/480 में गुजरते हुये अपनी आराजी नम्बर 480 की दक्षिणी भूजा पर पहुँचता है। उक्त रास्ता बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 660/480 में वर्षो से स्थित होकर मौके पर 30 फीट चौड़ा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। अतः आराजी नम्बर 660/480 किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त मे से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड (नक्शे) में दर्ज कराया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक कोर्ट/2020/953 दिनांक 17.07.2020 प्रस्तुत की गई जिसमें अवगत करवाया गया कि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में श्री भंवर सिंह उर्फ भगवत सिंह पिता तेज सिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ़ द्वारा अपनी खातेदारी आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते के प्रार्थनापत्र की भू–अभिलेख निरीक्षक बरून्दनी एवं पटवारी हल्का सुरास से जॉच करवाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक बरून्दनी एवं पटवारी हल्का सुरास की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में श्री भंवर सिंह उर्फ भगवत सिंह पिता तेज सिंह निवासी नाहरगढ़ के नाम खातेदारी आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर खातेदारी हक में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हेक्टेयर में आने जाने के लिए राजस्व नक्शे के अनुसार सरकारी रास्ता नही है। प्रार्थी उक्त आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हेक्टेयर में पहुँचने हेतु बिलानाम आराजी संख्या 660/480 रकबा 1.3355 हेक्टेयर मे से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि में होकर आता जाता है। प्रार्थी वर्तमान में रास्ते के उपयोग हेंतु 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है। अतः ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में श्री भंवर सिंह उर्फ भगवत सिंह पिता तेज सिंह निवासी नाहरगढ़ के नाम खातेदारी आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर पर आने जाने हेतु ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 660/480 मे से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि (30 फीट चौड़ा) गे0मु0 रास्ता दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है। जिसकी डी.एल.सी. दर 63938 प्रति बीघा से 89513 बनती है। जो प्रार्थी द्वारा दुगुनी राशि राजकोष में जमा कराने पर नियमानुसार गे0मु0 रास्ता दर्ज करने में कोई

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

आपत्ति नही है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06.08.2020 को प्रस्तुत हुई प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरी कृषि भूमि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर पर आने जाने हेतु रास्ता नही है वर्तमान में ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 660/480 मे से होकर आता जाता हूँ। भविष्य में मेरी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई अवरोध उत्पन्न नही हो इस हेतु मेरे द्वारा उक्त बिलानाम भूमि में से रास्ता चाहने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किया जावें। इस हेतु जो भी नियमानुसार राशि राज्य सरकार को देय होगी वह राशि में राजकोष में जमा कराने हेतु सहमत हूँ।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 660/480 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि को रास्ते हेतु दर्ज करने में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा होने योग्य राशि राजकोष में जमा करवा दी जाती है तो राजहित प्रभावित नही होते है। राजस्थान सरकार के संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसार ऐसा किया जा सकता है।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया और पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पायी गई।

ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा आराजी संख्या 480 रकबा 3.0270 हैक्टेयर पर आने जाने के लिए ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 660/480 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि (30 फीट चौड़ाई में) रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के बिलानाम आराजी संख्या 660/480 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि (30 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 63938 प्रति बीघा से 89513 बनती है। दुगनी दर 179026/– रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाये जाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner